UPEW010011132026

न्यायालय विशेष न्यायाधीश(द०प्र०क्षे०अधि०)इटावा।

उपस्थितः आलोक कुमार श्रीवास्तव..... एच.जे.एस

(J.O.Code NO.U.P.1546)

अग्रिम प्रतिभू प्रार्थनापत्र संख्या–373/2026

CNR NO–UPEW010011132026

मंशाराम पुत्र जसवंत सिंह उम्र लगभग 61 वर्ष निवासी–खानपुरा, थाना भरथना जनपद इटावा।

.....आवेदक/अभियुक्त ।

प्रति

उत्तर प्रदेश राज्य ।

दण्डवाद संख्या–238/2026
मु०अ०संख्या–308/2025
धारा–115(2),352,351(3),
118(1),110 भारतीय न्याय संहिता
थाना–भरथना
जिला–इटावा।

दिनांक 11.03.2026

1– आवेदक/अभियुक्त मंशाराम पुत्र जसवंत सिंह निवासी–खानपुरा, थाना भरथना जनपद इटावा की ओर से उपरोक्त वर्णित मामले में अग्रिम प्रतिभू (Anticipatory Bail)पर निर्मुक्त किये जाने हेतु अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है।

2– आवेदक/अभियुक्त की ओर से अग्रिम प्रतिभू प्रार्थनापत्र के समर्थन में स्वंय का शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है।

3– आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दण्ड) के तर्को को सुना एवं प्रपत्रों व सम्बन्धित

Digitally signed by ALOK KUMAR SRIVASTAVA
Date: 2026.03.19 15:02:57 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

तलबशुदा पत्रावली का अवलोकन किया।

4– आवेदक/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र में कथन किया गया है कि वादी की तहरीर के आधार पर पुलिस द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट अभियुक्तगण के खिलाफ दर्ज की गयी। वादी द्वारा अपनी प्रथम सूचना रिपोर्ट में वादी व उसकी पत्नी को अभियुक्तगण द्वारा एक राय होकर के लाठी डण्डे से मारपीट की गयी है,जिससे वादी व उसकी पत्नी को चोटें आयी,किन्तु वादी द्वारा अपनी प्रथम सूचना रिपोर्ट में तथा धारा–180 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत जो बयान दिया गया है,उसमें किसी भी अभियुक्त पर व्यक्तिगत तौर से लाठी व डण्डा होना नहीं बताया गया है। वादी व उसकी पत्नी को जो चोटें पहुंचायी गयी है, वो कठौर हथियार से चोट पहुंचाया जाना बताया गया है,जबकि वादी के डॉक्टरी परीक्षण में धारदार हथियार की चोट सिर में दिखाई गयी है। इससे स्पष्ट है कि डॉक्टर द्वारा अभियुक्तगण को जेल भिजवाने की नियत से उपरोक्त धारदार चोट लिखकर गंभीर बतायी गयी है,जबकि ऐसी कोई चोट वादी ने न तो प्रथम सूचना रिपोर्ट में बतायी और न ही धारा–180 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के बयानों में बतायी। अभियोजन के प्रपत्रों से यह साबित हो रहा है कि चिकित्सा अधिकारी द्वारा स्वयं की विधिक आख्या भी,उसी चिकित्सक द्वारा तैयार की गयी है,जिसकी तिथि 16.10.2025 है। थाने की रोजनामचा046 दिनांकित 18.09.2025 के अनुसार चुटहैल का डॉक्टरी मुआयना(वादी) का मुकदमा दर्ज होने से पहले हो चुका था,किन्तु प्रथम सूचना रिपोर्ट में अंकित अपराध धारा–115(2),352,351(3) भारतीय न्याय संहिता का उल्लेख किया गया है। अभियोजन पक्ष के प्रपत्रों से यह साबित हो रहा है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट के बाद विवेचक द्वारा पुनः चुटहैल को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संयुक्त चिकित्सालय पुरूष इटावा में दिया हुआ प्रपत्र में कोई दिनांक अंकित नहीं है और न ही किसी बीमारी व डॉक्टर का नाम अंकित है,जिससे स्पष्ट होता है कि उपरोक्त प्रवेश फार्म पीछे व अन्य तिथि का है, जबकि एक्सरा दिनांक 30.06.2025 का है व विधिक आख्या दिनांक 16.10.2025 की है। ऐसा प्रतीत होता है कि पुलिस द्वारा अभियुक्तगण को गंभीर अपराध में फंसाने के लिये उपरोक्त मेडिकल गलत रूप से कराया गया और विधिक आख्या के

आधार पर धारा 110 भारतीय न्याय संहिता की बढोत्तरी की गयी है। वादी द्वारा उपरोक्त घटना में अभियुक्तगण द्वारा वादी को किस कारण से मारपीट की गई है,इसका कोई उल्लेख नहीं है। मुकदमे में हेतुक न होने से घटना का कारण स्पष्ट नहीं है,जिसमें संदेह है। उसका कोई भी अग्रिम प्रतिभू प्रार्थना पत्र किसी भी न्यायालय में कभी नहीं दिया गया और न ही खारिज हुआ है और न ही पैरोल प्रार्थना पत्र माननीय उच्च न्यायालय अथवा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल हुआ है और न ही खारिज हुआ है। उसका कोई भी आपराधिक इतिहास नहीं है। उक्त आधारों पर आवेदक/अभियुक्त की ओर से अग्रिम जमानत पर मुक्त करने की याचना की गयी है।

5– आवेदक/अभियुक्त की ओर से अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रपत्र प्रस्तुत किये गये हैं।

6– आवेदक/अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा दौरान बहस माननीय उच्चतम न्यायालय की विधि व्यवस्था बलदेव सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब पर बल दिया गया एवं यह तर्क किया गया कि प्रकरण में विलम्ब से प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी है,कोई चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में किसी भी हथियार का उल्लेख नहीं है,परन्तु चिकित्सीय आख्या में कटा हुआ घाव दर्शित किया गया है। चिकित्सीय परीक्षण फर्जी कराया गया है।

7– विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दण्ड) द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध करते हुये अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र खारिज किये जाने की याचना की गयी।

8– माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **सिद्धाराम सत्यलिंगप्पा महेत्रे बनाम महाराष्ट्र राज्य 2011 (1) सुप्रीम कोर्ट केसेज पेज–694** की विधि व्यवस्था के **पैरा नं०–112** में यह निर्धारित किया गया है कि न्यायालय को अग्रिम जमानत निस्तारित करते समय निम्नलिखित माप–दण्ड अपनाया जाना चाहिए–

(i) अपराध की प्रकृति एवं उसकी गम्भीरता तथा अपराध कारित करने वाले अभियुक्त की भूमिका

(ii) अभियुक्त का आपराधिक इतिहास तथा यदि वह किसी

न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि में जेल गया हो।

(iii) अभियुक्त के मुकदमें के विचारण के दौरान अनुपस्थित होने की सम्भावना

(iv) अभियुक्त द्वारा पुनः ऐसे ही अपराध की पुनरावृत्ति किये जाने की सम्भावना

(v) अभियुक्त को केवल चोट पहुंचाये जाने अथवा प्रताड़ित किये जाने हेतु गिरफ्तार किया जाना

(vi) अभियुक्त को अग्रिम जमानत पर छोड़े जाने से जनता के लोगों में उसका प्रभाव

(vii) न्यायालय द्वारा सभी तथ्यों पर अत्यधिक सावधानीपूर्वक विचार किया जाना चाहिए।

(viii) अग्रिम जमानत आवेदन–पत्र का निस्तारण करते समय न्यायालय को दोनों तथ्यों पर विचार करना चाहिए कि विवेचना स्वतंत्र साफ सुथरी हो और अभियुक्त का भी कोई उत्पीड़न या अपमान करने का आशय नहीं होना चाहिए।

(ix) अभियुक्त के द्वारा गवाहों को अथवा वादी को कोई धमकी, उत्प्रेरणा या वचन दिये जाने की सम्भावना का भी ध्यान रखना चाहिए।

(x) न्यायालय को अग्रिम जमानत आवेदन–पत्र प्रस्तुत करते समय सभी सम्भावनाओं को दृष्टिगत रखना चाहिए तथा अभियोजन पक्ष के केस में यदि संदेह हो, तब जमानत दिया जाना चाहिए। इसके अलावा सामान्यतया अभियुक्त को जमानत दिया जाना चाहिए।

9– आवेदक/अभियुक्त की ओर से यह अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र धारा–482 बी०एन०एस०एस०के तहत प्रस्तुत किया गया है।

10– यह दर्शित है कि प्रकरण में वादी आलोक कुमार पुत्र अचम्भेलाल निवासी ग्राम खानपुरा मौजा कुसना थाना भरथना जिला इटावा द्वारा लिखित तहरीर थाना प्रभारी भरथना इटावा को दी गयी,जिसमें यह कथन किया गया है कि वह दिनांक 28.06.2025 को समय लगभग 05 बजे शाम अपने परिवार सहित घर में बैठे थे,तभी उसके गांव के मंशाराम पुत्र जसवन्त सिंह व उरवेश उर्फ छोटू पुत्र मंशाराम व उमेश पुत्र विश्राम सिंह व उनका एक साथी

विमलेश पुत्र रामवीर सिंह एक राय होकर आये और गाली–गलौज देते हुए लाठी डण्डों से मारपीट करने लगे,जिससे उसके सिर में काफी चोटे आयीं तथा उसकी पत्नी पूनम के काफी चोटे आयीं,जब उसने शोरगुल मचाया तो विपक्षीगण जान से मारने की धमकी देकर भाग गये। उसके बाद अपनी पत्नी व अपना इलाज सरकारी अस्पतालल में कराता रहा,उसके बाद प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराता रहा। थाने पर सूचना देने आया हूँ,रिपोर्ट लिखकर कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करें।

11– वादी द्वारा दी गयी तहरीर के आधार पर थाना भरथना जिला इटावा में प्रथम सूचना रिपोर्ट मु०अ०संख्या–308/2025 अंतर्गत धारा 115(2),352,351(3)भारतीय न्याय संहिता में अभियुक्तगण मंशाराम, उरवेश उर्फ छोटू, उमेश व विमलेश के विरूद्ध दर्ज की गयी। विवेचना के क्रम में प्रकरण में धारा–118(1),110 भा०न्याय संहिता की बढोत्तरी की गयी।

12– पत्रावली के अवलोकन से यह भी दर्शित होता है कि प्रकरण में विवेचना समाप्त हो चुकी है और बाद विवेचना अभियुक्तगण मंशाराम, उरवेश उर्फ छोटू, उमेश व विमलेश के विरूद्ध धारा–115(2),352, 351(3), 118(1),110 भारतीय न्याय संहिता में आरोप पत्र प्रेषित किया जा चुका है,जिस पर विद्वान मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा प्रसंज्ञान लिया जा चुका है। यह भी दर्शित है कि अभियुक्त पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता–2023 की धारा 35 की उपधारा (3) का नोटिस तामीला हो चुका है।

13– पत्रावली के अवलोकन से यह भी दर्शित है कि प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त अभी उपस्थित नहीं आया है और उसके विरूद्ध जमानतीय अधिपत्र जारी है। थाने से प्राप्त आख्या में अभियुक्त का प्रश्नगत अभियोग के अतिरिक्त अन्य कोई आपराधिक इतिहास पेश नहीं किया गया है। आरोपित अपराध सात वर्ष तक के कारावास से दण्डनीय है। अतः **माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि व्यवस्था सतेन्द्र कुमार अंटिल बनाम सी०बी०आई० व अन्य (2021)10 एस०सी० सी० 773** के प्रकाश में मामले के गुणदोष पर राय न व्यक्त करते हुये प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये इस न्यायालय का यह मत है कि आवेदक/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार

किया जाना न्यायोचित होगा।

14– अतः मामले के गुणदोष पर राय न व्यक्त करते हुये प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये इस न्यायालय का यह मत है कि आवेदक/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित होगा।

<u>आदेश</u>

आवेदक/अभियुक्त मंशाराम पुत्र जसवंत सिंह निवासी–खानपुरा, थाना भरथना जनपद इटावा की ओर से उपरोक्त वर्णित मामले में प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। आवेदक/अभियुक्त को गिरफ्तार किये जाने की दशा में उसके द्वारा मुवलिग 50,000/–रूपये का निजी बंधपत्र व इसी धनराशि की एक जमानत सम्बन्धित न्यायालय की सन्तुष्टि के अनुरूप प्रस्तुत करने पर निम्न शर्तों के अधीन उसे अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाये–

1– आवेदक/अभियुक्त प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मामले के तथ्यों से भिज्ञ किसी व्यक्ति को कोई उत्प्रेरण,धमकी या वचन नहीं देगें,जिससे कि उन्हें ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी को प्रकट न करने के लिये मनाया जा सके।

2– आवेदक/अभियुक्त न्यायालय द्वारा अपेक्षा करने पर स्वंय उपस्थित होगा अथवा जरिये अधिवक्ता उपस्थित होगा।

3– आवेदक/अभियुक्त न्यायालय की पूर्व अनुज्ञा के बिना भारत नहीं छोड़ेगा।

आवेदक/अभियुक्त द्वारा जमानत की शर्तों का उल्लघंन करने पर अभियोजनपक्ष अग्रिम जमानत निरस्त कराने के लिये स्वतंत्र होगा।

दिनांक 11.03.2026

(आलोक कुमार श्रीवास्तव)
विशेष न्यायाधीश(द०प्र०क्षे०अधिनियम)
इटावा।
J.O.Code NO.U.P.1546